संख्या-187/2019/1826/41-2019-99 (बजट)/2019

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 जुलाई, 2019**

विषय:-**जनपद मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित 09 कुण्डो के जल शोधन/जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1408/6-1-1(14)/ब्र0ती0वि0प0/2018, दिनांक 26 जून, 2019 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के पत्रांक-136/ब्र.ती.वि.प./19-20 दिनॉक 22 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-229/2013 गिरिराज परिक्रमा संरक्षण एवं अन्य बनाम वन एवं पर्यावरण विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी 2019 के अनुपालन में जनपद मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित 09 कुण्डो के जल शोधन/जीर्णोद्धार का कार्य भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (**NEERI**), नागपुर से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में नीरी द्वारा उक्त कार्य हेतु स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित योजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु रू0 47.00 लाख की धनराशि की मांग की गयी है। नीरी द्वारा 06 माह में डी0पी0आर0 तैयार कर 12 माह में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3- अतः उपर्युक्त् के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित 09 कुण्डो के जल शोधन/जीर्णोद्धार का कार्य** राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (**NEERI**), नागपुर से कराये जाने हेतु रू0 47.00 लाख (रू0 सैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि ब्रज तीर्थ विकास परिषद् मथुरा के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (**NEERI**), नागपुर को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(2) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीय अनुसंधान संस्थान (**NEERI**), नागपुर द्वारा प्रायोजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुबन्ध आदि की कार्यवाही ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। कार्य की निविदा से सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य का अनुमोदन ब्रज तीर्थ विकास परिषद अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति एवं परिषद से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा कुण्डो का जलशोधन/जीर्णोद्धार का कार्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर संस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक पर्यटन, ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि नीरी नागपुर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व इन्ही का होगा।

(6) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन नीरी नागपुर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-187/2019/1826(1)/41-2019-99 (बजट)/2019 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
5- जिलाधिकारी, मथुरा।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
7- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर।
8- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
10- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
12- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
14- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
15- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
16- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।